न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :-16/2018/भीलवाड़ा (2018/00016)

1. श्रीमती मांगी देवी पत्नी लादूलाल तेली, नि0 आसीन्द, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती रामू देवी पुत्री ऊंकारलाल तेली, नि0 रायला, हाल निवासी नई शाम की सब्जी मण्डी, गुर्जर मौहल्ला, भीलवाड़ा ।
2. श्रीमती कमला देवी पुत्री ऊंकार तेली, नि0 लाछुड़ा, तह0 आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।
3. लादूलाल पुत्र ऊंकार तेली, नि0 शेखावतों का मौहल्ला, आसीन्द, जिला भीलवाडा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 28.12.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 86/2017.

उपस्थितः-

1. श्री सुनील पारीक, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 3 अनुपस्थित ।
3. श्री बी0एस0शेखावत, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 4.

निर्णय

दिनांक :– 22.01.2019

अपीलांट ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 में तहसीलदार, आसीन्द द्वारा प्रकरण संख्या 2/2017 में पारित आदेश दिनांक 23.5.2017 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की सास श्रीमती चांदी देवी पत्नि ऊंकार तेली, निवासी आसीन्द के द्वारा दिनांक 19.9.2016 को स्टाम्प तादादी 500/–रू0 पर ग्राम आसीन्द पटवारी हल्का आसीन्द के आराजी नंबर 5189, 5191, 5201, 5202, 5204 कुल किता 5 कुल रकबा 1.13 है0 में दर्ज अपने 1/2 हिस्से का वसीयतनामा अपनी पुत्रवधु प्रार्थिया श्रीमती मांगीदेवी पत्नी लादूलाल तेली, निवासी आसीन्द की सेवा–चाकरी से प्रसन्न होकर उसके पक्ष में निष्पादित करवाया था । उक्त वसीयतनामा अनरजिस्टर्ड है । वसीयतकर्ता श्रीमती चांदी देवी की मृत्यु दिनांक 23.10.2016 को हो चुकी है । अतः वसीयतनामे के आधार पर वसीयतगृहिता के पक्ष में नामांतकरण खुलवाया जाने हेतु आवेदन किये जाने पर तहसीलदार ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर आपत्तियां आमंत्रित की । प्रकरण में आपत्तियां नहीं आने व गवाहान द्वारा वसीयत करने बाबत् सशपथ कथन किये जाने पर अधी0न्याया0 तहसीलदार ने वसीयत को साबित मानने के बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय पारित कर वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा वसीयतकर्ता का पुश्तैनी नहीं होते हुए भी पुश्तैनी बताकर वसीयत के आधार पर नामांतकरण नहीं खोलकर विरासत के आधार पर नामांतकरण वारिसान लादूलाल पुत्र, रामूदेवी, कमलादेवी पुत्रियां ऊंकारलाल के नाम पर खोले जाने के आदेश पारित किये जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है । अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार, आसीन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.5.2017 को अपास्त किया जाकर विवादित आराजियात में श्रीमती चांदीदेवी के 1/2 हक हिस्से का वसीयतनामा के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामांतकरण खोले जाने का आदेश प्रदान करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर रेस्पो0 को तलब कर उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरांत प्रकरण में दिनांक 28.12.2017 को निर्णय पारित कर अपीलांट की अपील अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधीनस्थ न्यायालय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 का रिकार्ड

प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात मे वसीयतकर्ता श्रीमती चांदीदेवी बेवा उंकार का 1/2 हिस्सा रिकार्ड में वसीयत किये जाने के समय दर्ज था तथा अपीलांट द्वारा तहसीलदार के समक्ष वसीयत के आधार पर नामांतकरण तस्दीक करने हेतु आवेदन पेश किये जाने पर तहसीलदार, आसीन्द ने नियमानुसार कार्यवाही कर आपत्तियां आमंत्रित की एवं वसीयत के गवाहों के बयान लिये जाकर चांदी देवी के वारिसान को नोटिस जारी किये जिस पर कोई आपत्ति नहीं आने पर वसीयतनामे को साबित होना मानते हुए भी अधी0न्याया0 ने विवादित भूमियों को पैतृक होना मानते हुंए विरासत के आधार पर नामांतकरण पारित किये जाने के आदेश पारित किये है जो दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार के समक्ष विरासत के आधार पर नामांतकरण तस्दीक किये जाने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र नहीं था । तहसीलदार को उनके समक्ष वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध होने के उपरांत वसीयत के आधार पर नामांतकरण तस्दीक करना चाहिये था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय इस आधार पर निरस्तनीय है कि उक्त भूमि के वसीयतकर्ता का हक रिकार्ड में उंकार पुत्र कजोड़ की मृत्यु होने पर विरासत से उंकार पुत्र कजोड़ के वारिसान बेवा एवं पुत्र, पुत्रियों के नाम की गई एवं तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा चांदी बेवा उंकार व लादूलाल पुत्र उंकार के पक्ष में अपने हिस्से को पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 27.2.2002 के आधार पर हक त्याग करने से नामांतकरण संख्या 1231 पारित होकर रिकार्ड में अंकन हुआ था जिससे स्पष्ट था कि विवादित भूमि में चांदीदेवी व लादूलाल 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार हो गये जिसमें चांदी देवी को अपने हिस्से की आराजी को वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था । रेस्पोडेंटस द्वारा हक त्याग किये जाने के तथ्यों को छिपाया गया है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा पंजीकृत रिलीज डीड द्वारा हक त्याग किये जाने के बाद रेस्पो0 संख्या 1 व 2 एस्टोपल के सिद्धांत से पाबंद होने के कारण उक्त आराजी बाबत् किसी प्रकार का आक्षेप नहीं कर सकते थे । रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा फर्जी, कूटरचित, संदिग्ध होना एवं सिविल कोर्ट से प्रोबेट नहीं लेने का कथन किया गया जबकि उक्त बाबत् फौजदारी मामले में एफ0आई0आर0 लगाई जा चुकी है । अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत प्रमाणित होने के बावजूद दोनों अधी0न्यायालयों ने वसीयत के आधार पर नामांतकरण स्वीकृत करने के बजाय विरासत के आधार पर नामांतकरण के आदेश पारित किये है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 दोनों अधी0न्यायालयों के निर्णय क्रमशः तहसीलदार, आसीन्द का निर्णय दिनांक 23.5.2017 एवं विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 28.12.2017 अपास्त किये जाकर वसीयत के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामांतकरण के आदेश प्रदान किये जावे। xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात का खातेदार ऊंकार पिता कजोड़ तेली था । ऊंकार की मृत्यु उपरांत नामांतकरण संख्या 1087 दिनांक 25.2.2002 विरासत से ऊंकार के बजाय लादूलाल, रामू, कमला पि0 ऊंकार एवं मु0 चांदी बेवा ऊंकार के नाम स्वीकृत किया गया है । तत्पश्चात् रामू एवं कमला पुत्रियां ऊंकार ने जरिये पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 27.2.2002 के द्वारा विवादित भूमियों में अपना हक व हिस्सा मु0 चांदी एवं लादूलाल पुत्र ऊंकार के पक्ष में निष्पादित किया था । रामू व कमला पुत्रियां ऊंकार द्वारा विवादित आराजियात में अपने हक व हिस्से बाबत् मु0 चांदी बेवा ऊंकार एवं लादूलाल पुत्र ऊंकार के पक्ष में पंजीकृत हक त्याग पत्र निष्पादित किये जाने के उपरांत रामू व कमला का विवादित आराजियात में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रह गया था तथा मु0 चांदी व लादूलाल विवादित आराजियात के 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो गये थे । मु0 चांदी बेवा ऊंकार ने विवादित आराजियात में अपने 1/2 हिस्से की वसीयत 500/–रू0 के स्टाम्प पर मांगीदेवी पत्नि लादूलाल के पक्ष में दिनांक 19.9.2016 को निष्पादित की है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट मांगीदेवी ने अपने पक्ष में निष्पादित वसीयत को वसीयत के गवाहों से साबित कराया है तथा अधी0न्याया0 ने वसीयत के संबंध में आपत्तिया भी आमत्रित की थी किन्तु वसीयत के आधार पर अपीलांट के नाम नामांतकरण स्वीकृत किये जाने बाबत् किसी प्रकार की कोई आपत्ति अधी0न्याया0 के समक्ष पेश नहीं हुई है तथा ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पत्रावली पर उपलब्ध है। श्रीमती रामू व कमला द्वारा एक बार अपने द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से हक त्याग किये जाने के उपरांत विवादित आराजियात में उनके निहित हक व अधिकार समाप्त हो चुके है तथा वे हक त्याग पत्र से बाधित है । अधी0न्याया0 तहसीलदार के समक्ष वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध होने के उपरांत तहसीलदार को वसीयत के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही करनी चाहिये थी किन्तु तहसीलदार ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर विवादित भूमि पैतृक होना मानकर तथा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत अपंजीकृत होने से विरासत के आधार पर नामांतकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा तथ्यों के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । तहसीलदार एवं विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपंजीकृत वसीयत के आधार पर भी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अपास्त किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का उक्त निष्कर्ष विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है क्योंकि राजस्थान राज्य में वसीयत का पंजीयन व प्रोबेट कराया जाना आवश्यक नहीं है तथा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत नोटेरी से प्रमाणित है जिसकी

प्रमाणिकता वसीयत के गवाहों के बयानों से अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा सिद्ध कराई है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा तहसीलदार, आसीन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.5. 2017 एवं विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2017 अपास्त योग्य पाये जाते है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

5- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 16/2018 (2018/00016) बउनवानी श्रीमती मांगीदेवी बनाम श्रीमती रामू व अन्य को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, आसीन्द द्वारा प्रकरण संख्या 02/2017 में पारित आदेश दिनांक 23.5.2017 एवं विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 86/2017 बउनवान श्रीमती मांगीदेवी बनाम श्रीमती रामू व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2017 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, आसीन्द को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट श्रीमती चांदीदेवी पत्नि लादूलाल के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण दर्ज किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

6- आदेश आज दिनांक 22.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.01.28 11:43:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: